रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2464] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 20, 2012/अग्रहायण 29, 1934

No. 2464] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 20, 2012/AGRAHAYANA 29, 1934

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

(युवा कार्यक्रम विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 2012

विषय : राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान (आरजीएनआईवाईडी) के लिए अन्तर्वर्ती समिति का गठन ।

का.आ. 2965(अ).—राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया है और इसी आशय के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान (आरजीएनआईवाईडी) अधिनियम, 2012 दिनांक 19-11-2012 से प्रवृत्त होने के लिए अधिसूचित किया गया है । विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श करने और अन्तर्वर्ती परिवर्तन की अपेक्षित रूपरेखा तैयार करने के लिए अन्तर्वर्ती समिति का गठन किया जाता है । इस अन्तर्वर्ती समिति में निम्नलिखित सदस्य हैं (वर्णानुक्रम में) :—

(i) डॉ. एन. आर. माधव मेनन, कुलपति, नैशनल लॉ स्कूल ऑफ इण्डिया, बंगलौर और एनयूजेएस कोलकाता ।

(ii) प्रो. एस. पी. परशुरामन, निदेशक, टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंसिस ।

(iii) श्री सुमन दुबे, सदस्य, आरजीएफ, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज और सदस्य—प्रसार भारती ।

(iv) डॉ. (सुश्री) सईदा हमीद, सदस्य, योजना आयोग ।

(v) युवा कार्यक्रम विभाग से प्रतिनिधि ।

(vi) श्री पी. माइकल वेठा सिरोमनी, निदेशक, राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान—संयोजक ।

2. अन्तर्वर्ती समिति, यदि चाहे, तो किसी भी व्यक्ति से सहायता प्राप्त कर सकती है ।

3. आरजीएनआईवाईडी अन्तर्वर्ती समिति को सचिवालय और लॉजिस्टिक सहायता देगा । सदस्यों के घरेलू दौरों पर यात्रा और आवास पर होने वाला व्यय, यदि कोई हो, का वहन भी आरजीएनआईवाईडी द्वारा अपने बजट से किया जाएगा ।

4. यह आदेश सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

[फा. सं. 15-29/2012-आरजीएनआईवाईडी]

राकेश मोहन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS

(Department of Youth Affairs)

ORDER

New Delhi, the 18th December, 2012

Subject : Constitution of a Transition Committee for Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development (RGNIYD).

S.O. 2965(E).—Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development has been declared as an Institute of National Importance and to this effect the Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development (RGNIYD) Act, 2012 has been notified to commence w.e.f. 19-11-2012. A Transition Committee is hereby constituted for deliberating the various issues and preparing the requisite framework for the transition. The Transition Committee consists of the following members (in alphabetical order) :—

(i) Dr. N. R. Madhava Menon, Vice Chancellor of National Law School of India, Bangalore and NUJS, Kolkata.

(ii) Prof. S. P. Parasuraman, Director, Tata Institute of Social Sciences.

(iii) Shri Suman Dubey, Member, RGF, Board of Trustees and Member—Prasar Bharti.

(iv) Dr. (Ms.) Syeda Hameed, Member, Planning Commission.

(v) Representative from Department of Youth Affairs.

(vi) Sh. P. Michael Vetha Siromony, Director, Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development—Converor.

2. The Transition Committee may take assistance from any person, if it so desires.

3. RGNIYD shall provide all secretarial assistance and logistic support to the Transition Committee. The expenditure on travel and accommodation of the Members on their demestic visits, if any, shall also be borne by RGNIYD from its budget.

4. This Order issues with the approval of the Competent Authority.

[F. No. 15-29/2012-RGNIYD]

RAKESH MOHAN, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.